न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या— 23 / 2021 **दायर दिनांकः 01 / 02 / 2021**

उनवान

1. चतरभुज उर्फ चतरसिंह आयु 62 वर्ष पुत्र प्रतापसिंह जाति कोली निवासी बडोरा हाल गायत्रीनगर खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0
एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—
वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनाकः 30 / 05 / 2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल बडोरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 133 के ख0नं0 1379 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 1380 रकबा 0.62 है0, ख0नं0 1381 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 रकबा 0.88 है0 आराजी वादी के खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का नाम चतरभुज दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वादी के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, व अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम चतरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति कोली निवासी गायत्रीनगर दर्ज है। जिसकी छायाप्रतियां वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी को अलोट करते समय राजकीय कर्मचारियों द्वारा वादी का नाम चतरभुज सहवन से दर्ज कर दिया था। जबकि वादी का वास्तविक नाम वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित दस्तावेजों में चतरसिंह दर्ज है जो वादी का सही नाम है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का गलत नाम चतरभुज दर्ज होने के कारण वादी अपनी आराजी का कृषि विकास नहीं करवा पा रहा है तथा

कृषि ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम चतरभुज के स्थान पर सही नाम चतरसिंह करवाया जाना संभव नहीं है। यदि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का वास्तविक नाम चतरसिंह दर्ज नहीं किया गया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पावेगा। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं है। अस्तु वादी प्रतिवादी से वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में चतरभुज के स्थान पर सही नाम चतरसिंह राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 10.01.2021 को नकल लेकर प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करने पर व अन्तिम बार दिनांक 10.01.2021 को जमाबन्दी में गलत नाम चतरभुज दर्ज हाने के कारण आवेदन निरस्त हो जाने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी भूमि धारक होने व वा दनाम दुरूस्ती होने के कारण राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। विवाद ग्रस्त आराजी एवं पक्षकार तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावे कि:–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम चतरभुज के स्थान पर सही नाम चतरसिंह राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw1 चतरसिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति कोली निवासी खेडलीगंज तहसील अटरू के शपथ

ब्यान लेखबद्ध किये गये। ग्राम माल बडोरा तहसील अटरू की खाता संख्या 133 ख0नं0 1379 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 1380 रकबा 0.62 है0, ख0नं0 1381 रकबा 0.25 है0 कुल तीन किता रकबा 0.88 है0 खातेदार चतुर्भुज पुत्र प्रतापसिंह के नाम दर्ज है। मेरा राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र , आधार कार्ड व अन दस्तावेजों में नाम चतरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति कोली निवासी खेडलीगंज दर्ज है। जिसकी छायाप्रतियां मेने वाद पत्र के साथ पेश की है। मेरे जमीन अलॉट करते समय राजकीय कर्मचारियों द्वारा चतुभुर्ज पुत्र प्रतापसिंह दर्ज कर दिया गया था जिसकी वजह से मुझे कृषि ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है। जिससे मुझे क्षति हो रही है। जिसको मे राजस्व रिकार्ड में चतुर्भुज पुत्र प्रतापसिंह जाति कोली के स्थान पर चतरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति कोली का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाना चाहता हूँ।

3. अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम चतरभुज के स्थान पर सही नाम चतरसिंह राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी संवत 2073–2076 ग्राम बडौरा के खाता संख्या 133 (प्रदर्श–1) के ख0नं0 1379 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 1380 रकबा 0.62 है0, ख0नं0 1381 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 रकबा 0.88 है0 आराजी चतरभुज पुत्र प्रतापसिंह के खाते दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम आधार कार्ड में चतर सिंह शाक्यवाल पुत्र प्रताप सिंह शाक्यवाल, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र में चतरसिंह पुत्र प्रतापसिंह, राशन कार्ड चतर सिंह शाक्यवाल पुत्र प्रताप सिंह दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत बडोरा द्वारा जारी पहचान पत्र में वादी का नाम चतरभुज उर्फ चतरसिंह शाक्यवाल पुत्र प्रतापसिंह शाक्यवाल जाति कोली निवासी बडोरा हाल गायत्रीनगर अटरू दर्ज है तथा उक्त पहचान पत्र अनुसार चतरसिंह एवं चतरभुज पुत्र प्रतापसिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 91 आर. टी. एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बडोरा

तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 133 के ख0नं0 1379 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 1380 रकबा 0.62 है0, ख0नं0 1381 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 रकबा 0.88 है0 में खातेदार चतरभुज पुत्र प्रतापसिंह के स्थान पर चतरसिंह उर्फ चतरभुज पुत्र प्रतापसिंह दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण संख्या– 23/2021

उनवान

1. चतरभुज उर्फ चतरसिंह आयु 62 वर्ष पुत्र प्रतापसिंह जाति कोली निवासी बडोरा हाल गायत्रीनगर खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0</u>

<u>एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थिति :–

वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा।

मिनजानित मुदई रूबरू ....ग...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बडोरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 133 के ख0नं0 1379 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 1380 रकबा 0.62 है0, ख0नं0 1381 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 रकबा 0.88 है0 में खातेदार चतरभुज पुत्र प्रतापसिंह के स्थान पर चतरसिंह उर्फ चतरभुज पुत्र प्रतापसिंह दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग...................... मुबालिक ....ग................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग.............................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.05.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)